

## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 8547-23 दिनांक 14/03/2023 के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए दिनांक 14/03/2023 को बेसिक शिक्षा परिषद के एस० डी० वर्ड इंटर कॉलेज, मोहम्मद नगर, चित्तौरा, बहराइच को स्थाई मान्यता प्रदान की गयी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली को सीनियर सेकेंडरी लेवल की (IX & XI) मान्यता हेतु पत्रावली प्रेषित करने में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय

  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.  
बहराइच

पत्रांक संख्या 8547-23

दिनांक: 14/03/2023

प्रतिलिपि-

प्रबंधक, एस० डी० वर्ड इंटर कॉलेज, मोहम्मद नगर, चित्तौरा, बहराइच



प्रति,

अपर सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

शान्ति यादव इ० का०

मोहम्मदनगर चित्तौड़गढ़

पत्रांक -

आई०पी०/मान्यता/३७

दिनांक-०१-०५-२०१६

विषय :-

इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं समापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा-७क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष- २०१८ की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा-७क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

### सामान्य प्रतिबन्ध

- (१) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा-७क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को ११वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्रामुख कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।
- (२) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को ११वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (३) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।
- (४) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।
- (५) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९८७ की धारा-७क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।





## विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि-रु. 10000 = (रु. 5000=00 एवं रुपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 नं० अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2012 के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लीयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

### प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी वर्ग तृतीय	साहित्य-हिन्दी	अंग्रेजी, समाजशास्त्र, सद्, नागरिकशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास एवं कला

टिप्पणी :- उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ) माह के अन्दर किये जाने की आस्था एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(कामता रोम पौल)

अपर सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, वासणसी

दिनांक- 2016

पृष्ठांकन सं०- आई०बी०/मान्यता/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग वासणसी को अभिलेख हेतु।

जानकी

अपर सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

क्षेत्रीय कार्यालय, वासणसी

